राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....220/2014..... जिला .....बीकानेर.....

उनवान : मैसर्स विट्ठल स्टोर, स्टेशन रोड़, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–'बी', बीकानेर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/2014	<u>एकलपीठ</u> <u>श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य</u> यह अपील व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या अ.प्रा./बीका./स्थगन/13–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.01.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बकाया वसूली पर रोक हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र को आंशिक स्वीकार किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 3.7.2012 को किये जाने पर व्यवहारी द्वारा विभाग में पंजीयन का दायित्व होते हुए भी पंजीयन नहीं करवाया जाना पाया गया तथा मौके पर पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–बी, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25, 56, 61 व 75(8) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.10.2013 को पारित करते हुए कर व शास्ति के रूप में कुल रूपये 2,50,647/– की मांग कायम की गई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त मांग की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2014 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 1,20,000/– की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गई। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरण में बकाया वसूली योग्य राशि रूपये 1,24,147/– की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री ओ. पी. दोसाया तथा विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने सुनवाई के दौरान व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक ऐतराज पर निर्णय देते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया है। प्रकरण में अपीलार्थी को गुणावगुण के आधार पर सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। गुणावगुण के आधार पर भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....220/2014..... जिला .....बीकानेर.....

उनवान : मैसर्स विट्ठल स्टोर, स्टेशन रोड़, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–'बी', बीकानेर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जिसे इस हुक्म से अपील में जारी हुए
26/02/2014	राज्य में कर चुका माल क्रय किया जाकर विक्रय किया जाता है, जिन पर वेट अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुबारा करारोपण नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी का पंजीयन का दायित्व नहीं बनता है। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के अपीलार्थी के विरूद्ध भारी मांग कायम की है एवं अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों को विचारित किये बिना अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि सर्वेक्षण के समय पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से कर व शास्ति का आरोपण किया गया है, इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति राशि के लगभग राशि का स्थगन प्रदान कर अपीलार्थी को अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने के कारण अपील अपास्त किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने, पत्रावली में उपलब्ध अपील के आधारों का अवलोकन करने पर यह पीठ, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण बकाया वसूल योग्य राशि **रूपये 1,24,147/–** की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक रोक इस शर्त के साथ लगाई जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का निस्तारण आदेश प्राप्ति से तीन माह की अवधि में करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। (जे. आर. लोहिया) सदस्य 26/02/14	